FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0220 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/08/2026 13:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 19/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 19/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:03 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/08/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/08/2026 13:12:31 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 550 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** PARIWADI KA GHAR, GENJI GHATA, DUNGARPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NANURAM DENDOR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HUKA DENDOR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1956 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GENJI GHATA POST VIKASHNAGAR, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GENJI GHATA POST VIKASHNAGAR, DUNGARPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHEETAL PANDYA		पिता: RAMESHCHANDRA PANDYA	1. DHAMBOLA,SIMALWARA,DUNGARPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी,वाक्यात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.2026 को समय 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री नानुराम डेण्डोर पिता हुका डेण्डोर उम्र 70 वर्ष जाति भील पेशा खेती निवासी गैंजी घाटा ग्राम पंचायत विकासनगर पटवार हल्का विकासनगर पंचायत समिति झौथरी तहसील व जिला डूंगरपुर व सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल डामोर पिता भाणाजी डामोर उम्र 51 वर्ष जाति भील पेशा खेती निवासी बलवाडा मुकाम पोस्ट बलवाडा जिला डूंगरपुर ब्यूरो चैकी पर हाजिर आये परिवादी श्री नानुराम डेण्डोर ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि श्रीमान रतनसिंह राजपुरोहित पुलिस उप अधीक्षक को पेश कि की " नानुराम पिता हुका जाति मीणा उम्र 70 वर्ष पेषा खेती निवासी गैंजी घांटा ग्राम पंचायत विकासनगर पटवार हल्का विकासनगर पंचायत समिति झौंथरी तहसील व जिला डुंगरपुर के खसरा संख्या 962 क्षैत्रफल 0.8100 हैक्टर खाता संख्या 468 पुराना खाता संख्या 330 नानुराम हुका हिस्सा 1/6 की जमीन स्थित है। जिसका मौके पर शुद्विकरण करवाने हेतु मैंने करीब 1 एक वर्ष पूर्व रिपोर्ट व फाईल पटवारी मैडम शितल भट्ट को दि थी जो शुद्विकरण का काम आज दिनांक तक नही किया। शितल भट्ट पटवारी मैडम ने मेरे से अलग-अलग समय मे मेरे से 6,50,000/- छह लाख पचास हजार रूपये ले लिये है। कल सुबह मैं करीब 10 बजे शितल भट्ट पटवारी मैडम के डुंगरपुर स्थित निवास पर गया और मैंने शुद्विकरण करने के लिये कहा तो शितल भट्ट ने कहा कि मैंने शुद्विकरण के लिये फाईल तैयार करके एसडीएमऑफिस मै भेज दी है। एसडीएमऑफिस से फाईल निकालने के लिये 1,50,000/- एक लाख पचास हजार रूपया मुझे लाकर दो तब जाकर आपकी फाईल पास करवाउगी इस प्रकार शितल भट्ट पटवारी पटवारी हल्का विकासनगर द्वारा मुझसे 150000/- रूपये की मांग की जा रही है। मैं पटवारी मैडम को रिष्वत राशी नही देना चाहता हू। रिष्वत लेते हुये पकडवाने चाहता हू। मेरी पटवारी मैडम से पुरानी कोई दुशमनी नही है। ना ही कोई पुरानी कोई लेन देन बाकी नही है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करावे। यह रिपोर्ट मेरे कहे अनुसार कन्हैयालाल डामोर निवासी बलवाडा ने लिखी है।" पुलिस उप अधीक्षक साहब अन्य राजकार्य मे व्यस्त होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह को पुलिस उप अधीक्षक साहब द्वारा कार्यालय कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री नानुराम डेण्डोर व सहपरिवादी कन्हैयालाल डामोर का आपस मे परिचय करवाकर परिवादी द्वारा पेष हस्तलिखित रिपोर्ट को मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द की गई। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री नानुराम द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल द्वारा लिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी ने बताया की मै साक्षर हो अपने हस्ताक्षर करना ही जानता हुं इस कारण श्री कन्हैयालाल को प्रार्थना पत्र लिखने हेतु साथ मे लेकर आया हुं। उक्त रिपोर्ट मेरे कहने पर श्री कन्हैयालाल ने लिखी है। परिवादी ने यह भी बताया की श्रीमती शीतल पटवारी मुझसे रिष्वत सम्बधीत बात नही कर कन्हैयालाल से करेगी। परिवादी व सहपरिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेन देन का पाया गया। जिस पर परिवादी से मजीद दरियाप्त की तो परिवादी ने बताया कि खसरा संख्या 962 क्षैत्रफल 0.8100 हैक्टर खाता संख्या 468 पुराना खाता संख्या 330 नानुराम हुका हिस्सा 1/6 की जमीन स्थित है। जिसका मौके पर शुद्विकरण करवाने हेतु मैंने करीब 1 एक वर्ष पूर्व रिपोर्ट व फाईल पटवारी मैडम शितल भट्ट को दि थी जो शुद्विकरण का काम आज दिनांक तक नही किया। शितल भट्ट पटवारी मैडम ने शुद्विकरण करवाने के बदले मे मेरे से अलग-अलग समय मे मेरे से 6,50,000/- छह लाख पचास हजार रूपये ले लिये है। मै श्रीमती शीतल पटवारी को रिश्वत राशि नही देना रिश्वत राशिलेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं मेरी श्रीमती शीतल से कोई पुरानी लेनदेन बाकी नही है ना ही पुरानी कोई दुश्मनी है। अग्रिम रिश्वत राशिमांग सत्यापन की कार्यवाही के क्रम में कार्यालय के कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार नं0 390 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री नानुराम व सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल तथा कानि श्री जितेन्द्र कुमार नं0 390 का आपस में परिचय कराया गया व परिवादी, सपरिवादी व कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार के मोबाईल नम्बर परस्पर साझा कराये गये। श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक साहब के कार्यालय कक्ष की टेबल के दराज मे रखी डिजिटल वाईस रिकार्डर व एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड सें सेनडीस्क4 जीबी निकाल कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर अवलोकन किया गया तो डिजिटल वाईस रिकार्डर व उसमें लगाया गया मेमोरी कार्ड खाली (रिक्त) होना पाया गया। परिवादी व

सहपरिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईश की गई। संद्विग्ध श्रीमती शीतल पटवारी की लोकेशन का पता करने हेतु सहपरिवादी के मोबाईल नम्बर से पटवारी श्रीमती शीतल के मोबाईल नम्बर 9079747210 पर समय करीब 11.10 ए.एम. पर मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन कर क़ोलकरवाया तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर पास रखा तो संद्विग्ध ने क़ोल नही उठाया उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकोंर्ड किया गया। तत्पश्यात 11.23 ए.एम पर संद्विग्ध श्रीमती शीतल पटवारी की लोकेषन का पता करने हेतु सहपरिवादी के मोबाईल नम्बर से पटवारी श्रीमती शीतल के मोबाईल नम्बर पर मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन कर क़ोलकरवाया तथा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर पास रखा तो संद्विग्ध ने क़ोल नही उठाया उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्डर किया गया। तत्पष्चात समय 11.48 ए.एम पर संद्विग्ध श्रीमती शीतल पटवारी के मोबाईल नम्बर से सहपरिवादी के मोबाईल नम्बर पर कोल आया तथा सहपरिवादी ने संद्विग्ध श्रीमती शीतल को कहा की आप नानु भाई के घर आ जाओ मै आता हुं उस साईड जिस पर संद्विग्ध श्रीमती शीतल पटवारी ने कहा हा तो तो आ जाओ" सहपरिवादी के मोबाईल को लाउडस्पीकर ऑन कर डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर पास रख उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्डकिया गया। सहपरिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया की पटवारी श्रीमती शीतल परिवादी श्री नानुराम जी के घर आयेगी वही वो नानुराम जी से रिष्वत राशि हेतु वार्ता करेगी। जिस पर अग्रिम रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजिटल वाईस रिकार्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड के सहपरिवादी को सुपुर्द कर श्रीमती शीतल पटवारी, से वार्ता हेतु आवष्यक हिदायत देकर परिवादी व सहपरिवादी को मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के सहपरिवादी की निजी मोटर साईकिल से तथा कानि श्री जितेन्द्र कुमार को अपनी निजी मोटर साईकिल से समय 12.10 पी.एम पर पटवार हल्का विकासनगर की तरफ रवाना किया गया। तत्पष्चात समय करीब 02.41 पी.एम पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. न. 390 मय डिजिटल वाईस रिकार्डर व परिवादी श्री नानुराम व सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल निजी मोटर साईकिलो से ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। श्री जितेन्द्र कुमार कानि. ने डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं श्रीमान के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर से रवाना हो समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री नानुराम के घर गैजी घाटा के आस-पास पंहुच समय करीब 01.03 पी.एम पर डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को चालू कर सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल को सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी को संद्विग्ध श्रीमती शीतल पटवारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु परिवादी श्री नानुराम के घर गैजी घाटा के लिए रवाना किया तथा मै आस-पास अपनी गोपनीयता छिपाते हुए मुकिम रहा। तत्पश्यात समय करीब 02.02 पीएम पर परिवादी व सहपरिवादी मेरे पास आकर मुझे डिजीटल वाईस रिकार्डर पेश किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। सहपरिवादी ने मुझे बताया कि रिश्वत राशि मांग का सत्यापन हो चुका है। जिस पर मन् कानि. डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के अपनी निजी मोटर साईकिल व परिवादी श्री नानुराम व सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल अपनी निजी मोटर साईकिल से समय करीब 02.05 पी.एम. पर रवाना हो ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। जिस पर सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल ने कानि. के कथनो की ताहिद करते हुये बताया की साहब पटवारी से रिश्वत सम्बधीत वार्ता हो गई है हमने बहुत कोषिश की लेकिन वो डेढ लाख रूपये ही मांग रही है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे हुए मैमोरी कार्ड में रिकार्ड शुदा परिवादी, सहपरिवादी व संद्विग्ध श्रीमती शीतल पटवारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट में बताये गए कथनो की ताईद होकर संदिग्ध श्रीमती शीतल पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 1,50,000/-रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। तत्पश्यात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री नानुराम को रिश्वत राशि के रूप में दी जाने वाली राशि1,50,000/-रूपये की व्यवस्था के बारे मे पूछा तो परिवादी ने बताया की 1,50,000/-रूपये मेरे लिये बडी रकम है व्यवस्था कर मे कार्यालय मे उपस्थित हो जाउंगा। कुछ दिन मेरे कार्य होने की वजह से मे व्यस्त रहुंगा। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी व सहपरिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर कार्यालय से रवाना किया गया। कार्यालय का डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड यथास्थिति मालखाने मे सुरक्षित रखा गया। हालात श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक साहब को अर्ज किये। दिनांक 25.02.2026 को समय करीब 10.30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दुरभाष सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल से सम्पर्क करने की कोशिस की लेकिन सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल से सम्पर्क नही हो पाया। हालात श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक साहब को अर्ज किये। तत्पश्यात दिनांक 05.03.2026 को समय करीब 11.00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल के मोबाईल नम्बर पर कोंल किया तो सहपरिवादी के मोबाईल पर कोंल नही लगा हालात श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक साहब को अर्ज किये। दिनांक 30.03.2026 को समय करीब 03.54 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल के मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो सहपरिवादी ने बताया की मेरे लडके की मृत्यु हो जाने से हम इतने दिन ब्यूरो कार्यालय नही आ पाये। मै सामाजिक रिती रिवाज मे कुछ दिन और व्यस्त रहुंगा व पटवारी श्रीमती शीतल द्वारा भी अब तक हमसे कोई सम्पर्क नही किया गया है तथा अभी तक रिश्वत राशि की व्यवस्था भी नही हो पाई है। रिश्वत राशि की व्यवस्था कर

कुछ दिन बाद हम ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित हो जायेंगे जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सहपरिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। हालात श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक साहब को अर्ज किये। दिनांक 28.04.2026 को समय करीब 11.39 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल के मोबाईल नम्बर पर वार्ता की तो सहपरिवादी ने बताया की मै व नानुराम हमारे निजी कार्य मे व्यस्त होने के कारण अभी कुछ दिन और ब्यूरो कार्यालय नही आ पायेंगे। पटवारी श्रीमती शीतल ने हमसे कोई सम्पर्क अभी तक नही किया गया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सहपरिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी गई। श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक साहब को अर्ज किये। दिनांक 08.05.2026 को 10.00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कानि. श्री जितेन्द्र कुमार न. 390 को सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल से सम्पर्क करने हेतु पाबन्द किया गया जिस पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया की समय 10.30 पी.एम पर मन् कानि. द्वारा जरिये दुरभाष सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल से वार्ता की तो सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल ने बताया की मेरे लडके की मृत्यु होने के कारण रिष्तेदार के घरो मे जाने पड रहा है व अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण मे ब्यूरो कार्यालय उपस्थित नही हो पा रहा हुं। मै व श्री नानुराम जी जल्द रिष्वत राशि की व्यवस्था कर के ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो जायेंगे। दिनांक 14.06.2026 को समय करीब 10.00 ए.एम पर सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल उपस्थित कार्यालय हो मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया की श्री नानुराम जी का काम पटवारी श्रीमती शीतल द्वारा कर दिया गया है तथा पैसे नही लिये है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल को परिवादी श्री नानुराम को ब्यूरो कार्यालय मे लेकर आने हेतु कहा जिस पर सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल द्वारा निजी कार्य मे दिनांक 17.06.2026 तक व्यस्त होना बताया जिस पर सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल को दिनांक 18.06.2026 को परिवादी श्री नानुराम के साथ कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्ध किया गया। दिनांक 18.06.2026 को समय करीब 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री नानुराम डेण्डोर व सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल डामोर ब्यूरो चोकी पर हाजिर आये परिवादी श्री नानुराम डेण्डोर ने बताया की पटवारी श्रीमती शीतल द्वारा मेरे खसरा संख्या 962 क्षैत्रफल 0.8100 हैक्टर खाता संख्या 468 पुराना खाता संख्या 330 नानुराम हुका हिस्सा 1/6 की जमीन स्थित थी। जिसके शुद्विकरण करवाने हेतु मैंने रिपोर्ट दी थी जिसमे पटवारी द्वारा मुझसे रिश्वत राशि की मांग की गई थी। लेकिन मेने पता किया तो मेरे खसरा संख्या 962 मे शुद्विकरण का कार्य हो गया है। करीब 15 दिन पूर्व मेरे को खुद पटवारी ने बताया कि तुम्हारा काम हो गया है। इस कारण से मे आगे ट्रेप की कार्यवाही नही करवाना चाहता हु। तत्पष्चात परिवादी श्री नानुराम डेण्डोर ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय कि मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कि की " मुझ प्रार्थी नानुराम पिता हुका जाति मीणा निवासी गैंजी घाटा पोस्ट विकासनगर पंचायत समिति झौंथरी जिला डुंगरपुर का निवेदन है कि मैंने दिनांक 19.02.2026 को आपकी चोकी मे एक रिपोर्ट दी थी कि पटवार हल्का विकासनगर के खसरा संख्या 962 खाता संख्या 468 पुराना खाता संख्या 330 के शुद्विकरण कराने हेतु विकासनगर पटवारी शितल को एक साल पहले रिपोर्ट दी थी। मगर उसने शुद्विकरण का कार्य नही किया है एवं इस काम के कुछ पैसे मेरे ले लिये थे एवं अब एसडीएमऑफिससे फाईल निकालवाने के लिये (1,50,000) एक लाख पचास हजार रूपये और मांग रही है। जिस पर आपके चैकी द्वारा उसी दिन उस रिपोर्ट पर मेरे साथ स्टाफ भेजकर पटवारी से वार्ता करवायी थी। मगर मेरे रिश्वत राशि की व्यवस्था नही होने से एवं मै दूसरे कामो मे भी व्यस्त रहा था एवं पटवारी शितल द्वारा भी दूबारा मेरे से इस बारे मे संपर्क नही करने से मै चोकी पर उपस्थित नही हुआ था । अब करीब 15 दिन पूर्व मेरे को खुद पटवारी ने बताया कि तुम्हारा काम हो गया है। इस कारण से मे आगे ट्रेप की कार्यवाही नही करवाना चाहता हु। अब तक की आपके जो भी कार्यवाही हो वो करावें।" जिस पर परिवादी व सहपरिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय करीब 02.00 पी.एम पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डूंगरपुर को एक राजपत्रित अधिकारी व एक अराजपत्रित कर्मचारी को पाबन्द कर दिनांक 18.06.2026 को विशेष वाहक के साथ ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर भिजवाने बाबत् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 804 दिनांक 18.06.2026 से तेहरीर जारी कर श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 390 को कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डूंगरपुर मे तहरीर देने रवाना किया गया। समय करीब 03.10 पी.एम पर कानि. श्री जितेन्द्र कुमार मय कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डूंगरपुर के पत्रांक 672 दिनांक 18.06.2026 व दो स्वतन्त्र गवाहान के हाजिर कार्यालय आया। उक्त पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया उक्त पत्र को बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। दो स्वतंत्र गवाह को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री दिलीप पाटीदार पिता भगवानलाल पाटीदार उम्र 34 वर्ष निवासी सेमलिया घाटा, पुलिस थाना चितरी हाल अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत डूंगरपुर व श्री जसवन्त कटारा पिता श्री शंकरलाल कटारा उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड नं. 11 इन्दुरवा फला उदयविलास पैलेस रोड, मु.पोस्ट माण्डवा (खापरडा) जिला डुंगरपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत डुंगरपुर होना बताया तत्पश्यात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति चाही गई जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान द्वारा अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी गई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय मे बैठे परिवादी श्री नानुराम व सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में

परिचय करवाया गया। तत्पश्यात दिनांक 19.02.2026 व दिनांक 18.06.2026 को परिवादी श्री नानुराम द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को परिवादी, सहपरिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द ब शब्द की पुष्टि कर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया तथा बताया की मै साक्षर हो अपने हस्ताक्षर करना ही जानता हुं इस कारण दोनो प्रार्थना पत्र श्री कन्हैयालाल से लिखवाये है। तत्पष्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाना प्रभारी श्री वीर विक्रम सिंह से मंगवाया जाकर कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर मय् उसमें लगे मेमोरी कार्ड में रिकोर्डशुदा दिनांक 19.02.2026 को परिवादी व सहपरिवादी एवं संदिग्ध श्रीमती शीतल पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मय् उसमें लगाये गये मेमोरी कार्ड को सुरक्षित मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रखा। समय करीब 03.45 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री नानुराम, सहपरिवादी कन्हैयालाल व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप पाटीदार व श्री जसवन्त कटारा के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर मय् मेमोरी कार्ड को निकाल कर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डषुदा दिनांक 19.02.2026 को समय करीब 11.48 एएम पर हुई मोबाईल वार्ता, को सहपरिवादी द्वारा ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करा चलाकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि नं. 390 द्वारा फर्द मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबशुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ता को दोनो स्वतन्त्र गवाहान परिवादी व सहपरिवादी के समक्ष सहपरिवादी को चलाकर सुनाई गई तो उक्त वार्तालाप में सहपरिवादी कन्हैयालाल ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्रीमती शीतल पटवारी की आवाज होना स्वीकार किया। तत्पष्चात समय करीब 04.00 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री नानुराम, सहपरिवादी कन्हैयालाल व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप पाटीदार व श्री जसवन्त कटारा के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के पास सुरक्षित रखे डिजिटल वाईस रिकार्डर मय् मेमोरी कार्ड को निकाल कर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मय उसमें लगे मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा दिनांक 19.02.2026 को समय करीब 01.03 पीएम पर हुई मोबाईल वार्ता व रूबरू मांग सत्यापन वार्ता उक्त वार्ता को सहपरिवादी द्वारा ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। उक्त डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय के ले लेपटॉप से कनेक्ट करा चलाकर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री जितेन्द्र कुमार कानि नं. 390 द्वारा फर्द मूर्तिब की गई तथा मुर्तिबषुदा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ता को दोनो स्वतन्त्र गवाहान परिवादी व सहपरिवादी के समक्ष सहपरिवादी ब्यूरों के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्ता को दोनो स्वतन्त्र गवाहान 0 के समक्ष सहपरिवादी को चलाकर सुनाई गई तो उक्त वार्तालाप में सहपरिवादी कन्हैयालाल ने एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दुसरी आवाज संदिग्ध आरोपी श्रीमती शीतल पटवारी की आवाज होना स्वीकार किया। समय करीब 06.50 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री नानुराम, सहपरिवादी कन्हैयालाल व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप पाटीदार व श्री जसवन्त कटारा के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में दिनांक 19.02.2026 को परिवादी श्री नानूराम डेण्डोर व सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल डामोर एवं संदिग्ध श्रीमती शीतल के मध्य अलग-अलग समय पर समय करीब 11.48 ए.एम पर जरिये मोबाईल हुई वार्ता, समय करीब 01.03 पी.एम पर रूबरू हुई रिश्वत राशिमांग सत्यापन वार्ता जो प्रक्रिया अनुसार डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड सेनडीस्क4 जीबी में सुरक्षित है, डिजीटल टेप रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देषन में श्री बाबुलाल कानि. 393 द्वारा कार्यालय के सरकारी कम्प्युटर में कनेक्ट कर मूल मेमोरी कार्ड की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्डशुदा वार्ता को कोंपी कर दो पेन ड्राईव सेनडीस्क 8 जिबी की तैयार की गयी। एक पर आरोपी पेनड्राईव, दुसरी आईओ पेनड्राईव लिखा गया। आरोपी पेनड्राईव की नियमानुसार हेश वेल्यू निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक खाकी लिफाफे में चिट लगाकर अनशिल्ड सुरक्षित रखा गया। मूल मेमोरी कार्ड को डिजीटल टेप रिकोर्डर से पृथक कर मूल मेमोरी कार्ड सेनडीस्क4 जिबीको मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर वजह सबूत जप्त किया जाकर एक कपडे की थैली में रखा जाकर सीलचीट करा चीट पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। नियमानुसार मूल मेमोरी कार्ड को मार्क M अंकित कर जरिये फर्द जब्त किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पष्चात समय करीब 07.00 पी.एम पर शीलचिट शुदा मेमोरी कार्ड, पेनड्राईव इत्यादि को सुरक्षित कार्यालय के मालखाने में रखने व मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करने हेतु श्री वीर विक्रम सिंह को सम्भलाया गया। समय करीब 08.00 पी.एम पर परिवादी श्री नानुराम व सहपरिवादी तथा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप पाटीदार व श्री जसवन्त कटारा को आवश्यक हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। अब तक कि कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री नानुराम डेण्डोर के खसरा संख्या 962 क्षैत्रफल 0.8100 हैक्टर खाता संख्या 468 पुराना खाता संख्या 330 नानुराम हुका हिस्सा 1/6 की जमीन स्थित है। जिसका मौके पर शुद्विकरण करवाने हेतु परिवादी ने करीब 1 एक वर्ष पूर्व रिपोर्ट व फाईल पटवारी श्रीमती शितल को दि थी पटवारी श्रीमती शीतल द्वारा परिवादी की

जमीन शुद्विकरण के लिए पटवारी श्रीमती शीतल द्वारा 1,50,000/- रूपये परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की दिनांक 19.02.2026 को नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन रूबरू वार्ता करवाई गई। जिसमे आरोपी श्रीमती शीतल पटवारी द्वारा परिवादी श्री नानुराम से 1,50,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमति देने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात परिवादी श्री नानुराम डेण्डोर द्वारा रिश्वत राशि की व्यवस्था समय पर नही कर पाने व परिवादी व सहपरिवादी के निजी कार्य मे व्यस्त होने से तथा सहपरिवादी श्री कन्हैयालाल के पुत्र की मृत्यु होने के कारण समय अधिक व्यतित होने से परिवादी के जमीन शुद्विकरण का कार्य पुरा हो जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। आरोपी श्रीमती शीतल हाल पटवारी पटवार मंण्डल विकासनगर तहसील व जिला डुंगरपुर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर अवैध लाभ प्राप्त करने के आषय से परिवादी के खसरा संख्या 962 क्षैत्रफल 0.8100 हैक्टर खाता संख्या 468 पुराना खाता संख्या 330 नानुराम हुका हिस्सा 1/6 की जमीन स्थित है। जिसका मौके पर शुद्विकरण करवाने हेतु परिवादी ने करीब 1 एक वर्ष पूर्व रिपोर्ट व फाईल पटवारी श्रीमती शीतल को दी थी पटवारी श्रीमती शीतल द्वारा परिवादी की जमीन शुद्विकरण के लिए पटवारी श्रीमती शीतल द्वारा 1,50,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः श्रीमति शीतल पंडया भू अभिलेख निरीक्षक, हाल पटवारी पटवार मंण्डल विकासनगर तहसील व जिला डुंगरपुर के पद पर कार्यरत के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित हैं।(राजेन्द्र सिंह)पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,डूंगरपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्रीमति शीतल पंडया पुत्री श्री रमेशचन्द्र पंडया उम्र 44 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर, भू अभिलेख निरीक्षक, हाल पटवारी पटवार मंण्डल विकासनगर तहसील व जिला डूगरपुर के पद पर कार्यरत के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 52 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1288-91 दिनांक 04.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर 2- जिला कलक्टर, डूंगरपुर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Rajendra Singh Jain **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/08/2026 13:15:48

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)